न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 250 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. चंद्राराम पुत्र चुनाराम जाति कुम्हार निवासी रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक –03/12/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास, प0ह0 रेपड़ावास, भू–अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की कृषि भूमि खाता सं0 439 के ख0नं0 859 रकबा 1.8800 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गुदड़राम अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम चंद्राराम अंकित हैं। प्रार्थी को घर परिवार में गुदड़राम कहकर भी पुकारते थे, परन्तु प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चंद्राराम ही हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पेन ऑफ मेस्टेक से बिना प्रार्थी का वास्तविक नाम जाने प्रार्थी का नाम चंद्राराम की जगह गुदड़राम अंकित कर दिया जो कि पेन ऑफ मिस्टेक से हुई त्रुटि हैं। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम गुदड़राम के स्थान पर चंद्राराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम गुदड़राम के स्थान पर चंद्राराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रेपड़ावास में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक / रीडर / 2025 / 1723 दिनांक 01.12.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

जमाबंदी अनुसार सरहद मौजा रेपड़ावास के ख0नं0 859 रकबा 1.8800 है0 किस्म बा0दो0 में खातेदार गुदड़राम पुत्र चुनाराम हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा देह खातेदार एवं हजारीराम पुत्र शेराराम हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। सह खातेदार गुदड़राम पुत्र चुनाराम हिस्सा 1/2 को बचपन में गुदड़राम के नाम से पुकाराते थे, लेकिन बाद में उसका नाम चन्द्राराम से जाना पहचाना या पड़ा जैसा कि मौत बिरानों के अनुसार साथ में वर्तमान में उसके तमाम दस्तावेजो में भी चन्द्राराम हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि गुदड़राम पुत्र चुनाराम हि0 1/2 जाति कुम्हार सा देह सह खातेदार के उक्त हिस्से पर वर्तमान में चन्द्राराम व बालाराम पि0 चुनाराम लगभग बराबर हि0 1/4 + 1/4 = 1/2 हिस्से पर दोनो द्वारा काश्त की जा रही हैं। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2033–2052 में खसरा नंबर 859 में गुदड़ पुत्र पुना दर्ज हैं। जो कि वर्तमान में बदस्तुर जारी हैं, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम गुदड़राम के स्थान पर चन्द्राराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का बचपन का नाम गुदड़राम होने तथा वादग्रस्त कृषि पर प्रार्थी ही काबिज काश्त होने की रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 8622 1998 5630, निर्वाचन पहचान पत्र सं0 RJ/21/161/072094, राशन कार्ड सं0 200003231384 इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम चन्द्राराम दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम चन्द्राराम पुत्र चुनाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गुदड़राम पुत्र चुनाराम के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र चुनाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गुदड़राम पुत्र चुनाराम के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

चुनाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
(मालिजित राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मालिजित राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)